

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

1. सतपाल पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी झेदासर तहसील रावतसर।
 2. श्योपत पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी झेदासर तहसील रावतसर।
 3. विक्रम पुत्र सुरजीत जाति जाट निवासी झेदासर तहसील रावतसर।
 4. रामअवतार पुत्र सुरजीत जाति जाट निवासी झेदासर तहसील रावतसर।
- वादीगण

बनाम

1. गुड्डी देवी पुत्री हजारीराम पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा
तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- प्रतिवादीया

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री संजय कुमार शर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि चक नं. 2 ए बाराजी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 खाता संख्या 34/30 में दर्ज 10.120 है. आराजी में प्रतिवादीया गुड्डीदेवी के नाम से 8.096 है. भूमि आराजी के वादीगण को बहिब के खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में बहिब अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने पर बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें
के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 12.9.2018
अदा करें।

बसब्त मेरे दस्खत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....12.9.2018...को जारी
किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी